

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

॥ अधिसूचना ॥

संख्या: 3/UIG-रिफॉर्म्स 10/2012-

1251

पटना. दिनांक - 12-7-13

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 128 एवं 228 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत नगर निकाय क्षेत्र में घर-घर प्रगार संग्रह के लिए शुल्क एवं दण्ड निर्धारित करने का प्रावधान है।

उक्त प्रावधान के आलोक में नगरपालिका क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपभोक्ता शुल्क निर्धारित किया जाता है। नगरपालिका अपने-अपने क्षेत्रों में निम्नांकित दर से शुल्क की उगाही कर सकेगी:-

	उपभोक्ता की श्रेणी	न्यूनतम मासिक शुल्क (रुपये में)		
		नगर निगम	नगर परिषद	नगर पंचायत
(क)	आवासीय			
i	आवासीय घर	30=00	25=00	20=00
ii	मलिन एवं गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी के आवास	शून्य	शून्य	शून्य
(ख)	गैर आवासीय			
i	फूटपाथी दुकान	शून्य	शून्य	शून्य
ii	दुकान, खानपान के स्थान (ढाबा/मिठाई की दुकान/कॉफी हाउस इत्यादि)	100=00	75=00	50=00
iii	रेस्टुरेंट, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, होस्टल	500=00	250=00	150=00
iv	सितारा होटल या उसके समतुल्य होटल	5000=00	5000=00	5000=00
v	व्यवसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय, कोचिंग क्लासेस, शैक्षणिक संस्थान	500=00	250=00	150=00
(ग)	स्वास्थ्य सेवा संस्थान: (केवल गैर बायो-मेडिकल वेस्ट)			
i	क्लीनिक, डिस्पेंसरी, लेबोरेटरीज	250=00	150=00	100=00
ii	अस्पताल (50 शय्या तक)	1500=00	1200=00	1000=00
iii	अस्पताल (50 शय्या से अधिक)	3000	2000	1500
(घ)	अन्य			
i	धार्मिक स्थल	शून्य	शून्य	शून्य
ii	निगम क्षेत्र में स्थित लघु और कुटीर उद्योग, वर्कशॉप (केवल गैर खतरनाक) अवशिष्ट 10 कि. ग्रा. प्रतिदिन	आकलन के अनुसार		
		500=00	300=00	200=00
iii	गोदाम, कोल्ड स्टोरेज (केवल गैर खतरनाक) अवशिष्ट	1000=00	750=00	500=00